

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 13.03.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

08 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना को० नगर पुलिस ने 03, थाना खोड़ारे पुलिस ने 01 व थाना वजीरगंज पुलिस ने 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

01. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सोहनलाल पुत्र दीपचन्द्र पासवान नि० ग्राम बरौली डीहा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-92/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विक्की चौहान पुत्र दुर्गा प्रसाद चौहान नि० ग्राम सरैया अधरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-119/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.03.2023

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त- दुर्गेश पुत्र रामजनम को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना वजीरगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माँ द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दुर्गेश पुत्र रामजनम नि० परसिया नई बस्ती थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-133/2023 धारा 363,366 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० दुर्गेश कुमार मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.03.2023

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त शुभम मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के 03 अदद मोबाइल बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 12.03.2023 को वादी एजाज पुत्र रियाज की कस्बा इटियाथोक में स्थित मोबाइल रिपेरिंग की दुकान से मोबाइल चोरी किये थे। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने मोबाइल चोरी करने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. शुभम मिश्रा पुत्र राधेश्याम मिश्रा नि० ग्राम इटियाथोक थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 03 अदद मोबाइल

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-121/23, धारा 380, 411 भादवि० थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोंडा
दिनांक 13.03.2023

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा गुमशुदा/अपहृत बालक को बरामद कर उसके परिजन को किया सुपुर्द-

पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर ने "ऑपरेशन मुस्कान" के तहत अभियान चलाकर गुमशुदा बालकों की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा के पर्यवेक्षण में गुमशुदा/अपहृत अमरजीत को थाना मसौली जनपद बाराबंकी से बरामद किया गया। गुमशुदा लड़का दिनांक 08.03.2023 को अपने घर से साईकिल चलाने गया था और घर नहीं लौटा था। जिसके सम्बन्ध में वादी ईश्वरदीन पुत्र छेदी नि० ग्राम नेवादा हासिमपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 11.03.2023 को थाना कौड़िया में इसकी सूचना दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कौड़िया में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। गुमशुदा/अपहृत बालक को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु बाल कल्याण समिति गोण्डा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-78/23, धारा 363 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी टीम-

उ०नि० बृजेश कुमार मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.03.2023

दहेज हत्या की वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० मनकापुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम लिदेहना ग्रन्ट से दहेज हत्या की वांछित अभियुक्ता मीरा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध थाना को० मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता—

01. मीरा देवी पत्नी गोविन्द नि० लिदेहना ग्रन्ट थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-497/22, धारा 498ए,304बी,201 भादवि व 3/4 डी०पी० ऐक्ट एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता—

उ०नि० शिवकुमार यादव मय टीम